भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3223 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

विझिनजम पत्तन में हिस्सेदारी की बिक्री

†3223. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या केंद्र सरकार को अदाणी पोर्टस एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड द्वारा विझिनजम पत्तन में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी कंपनी को बेचने के कदम की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ने विदेशी निवेश के लिए अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन, जिन्हें गैर-महापत्तन या लघु पत्तनों के रूप में भी संदर्भित किया जाता हैं, संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और उनका विकास, राज्य के क्षेत्राधिकार और उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीपत्तन, अदानी विझिंजम पत्तन प्राइवेट लिमिटेड (एवीपीपीएल) के साथ एक रियायत समझौते के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत केरल सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा, एक गैर-महापत्तन है। केरल सरकार ने सूचित किया कि कंपनी (एवीपीपीएल) में 49 प्रतिशत इक्विटी के हस्तांतरण के लिए रियायत प्राधिकारी अर्थात केरल सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए एवीपीपीएल से प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं।

(ग) और (घ): केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।
